न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट, रूपनगढ़ (अजमेर)

राजस्व वाद संख्या 30/21 दायर दिनांक 11.11.2021

पीठासीन अधिकारी–श्री भंवरलाल जनागल, आर.ए.एस.

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

1. रामा पुत्र बिरदा.
2. रामकरण पुत्र बिरदा
3. गोपाल पुत्र बिरदा

सर्वजाति जाट सर्वनिवासी ग्राम नरेना तहसील रूपनगढ़

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. भंवरलाल पुत्र छीतर
2. घीसालाल पुत्र छीतर
3. किशनलाल पुत्र छीतर
4. रामरतन पुत्र छीतर

   सर्वजाति जाट सर्वनिवासी ग्राम नरेना तहसील रूपनगढ़
5. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार रूपनगढ़
6. शाखा प्रबन्धक, बैंक ऑफ बडौदा, शाखा हरमाड़ा तहसील रूपनगढ़

...अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) रा0का0अधि0

निर्णय दिनांक 10.10.2022

उपस्थित अधिवक्ता– श्री शांतिलाल ढ़ेल प्रार्थीगण की ओर से
श्री अरविन्द कुमार दाधीच अप्रार्थी संख्या 4 व 6 की ओर से
श्री विमल किशोर तिवाड़ी अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 की ओर से

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नंबर 806/285 रकबा 8 बीघा 06 बिस्वा भूमि ग्राम नरेना पटवार हल्का जूणदा तहसील रूपनगढ़ में अवस्थित है। प्रार्थीगण के कब्जेकाश्त खातेदारी कृषि भूमि खसरा नंबर 806/285 के पश्चिम दिशा में अप्रार्थी 1 लगायत 4 की भूमि ग्राम नरेना के ख0न0 285 स्थित है। प्रार्थीगण के कब्जेकाश्त, खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नंबर 806/285 के पश्चिम दिशा में अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 की कृषि भूमि ग्राम नरेना के ख0न0 285 स्थित है, जिसमें भूमि ख0न0 284 गै0मु0चाह स्थित है, जो प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण अपनी भूमियों की सिंचाई इसी गै0मु0चाह से करते है। प्रार्थीगण के कब्जे काश्त, खातेदारी की कृषि भूमि ख0न0 806/285 में जाने के लिए रास्ता अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 की भूमि ग्राम नरेना के ख0न0 285 से होकर स्थित है, किन्तु रास्ता राजस्व रिकार्ड नक्शे में तरमीम नहीं हो रखा है, जो रास्ता नजरी नक्शे में ए से बी लाल रंग से दर्शित किया गया है। प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि गै0मु0 चाह कुआं के चारों दिशाओं में अप्रार्थीगण की कृषि भूमि स्थित है। प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि ख0न0 806/285 से गै0मु0 चाह ख0न0 284 में पहुँचने के लिए अप्रार्थीगण की भूमि ख0न0 285 में से होकर जाता है। प्रार्थीगण इसी रास्ते से अर्से दराज से गाड़ी ट्रेक्टर–ट्रोली व कृषि यंत्र, चारा , उपज आदि लेकर गै0मु0 चाह (ख0न0 284) से अपने खेत में लाते ले जाते है। प्रार्थीगण के पास अपनी खातेदारी की कृषि आराजी ख0न0 806/285 से शुरू होकर अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 के ख0न0 285 के मध्य से होता हुआ गै0मु0 चाह ख0न0 284 तक जाता है। वर्तमान औद्योगिक युग में कृषि उपकरणों को लाने ले जाने हेतु कम से कम 30 फीट चौड़ा रास्ता होना आवश्यक है। प्रार्थीगण के पास अपनी आराजी की पहुंच के लिए अन्य कोई मार्ग/रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण की गै0मु0 चाह की भूमि ख0न0 284 के चारों तरफ अप्रार्थीगण की कृषि भूमि खसरा 285 स्थित है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 प्रार्थीगण के रास्ते के आवागमन में बाधा उत्पन्न करते रहते है। अप्रार्थीगण रोजाना प्रार्थीगण के आवागमन के रास्ते को अवरुद्ध करते रहते है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 को प्रार्थीगण की कृषि भूमि खसरा 806/285 से गै0मु0 चाह तक पहुंचने वाले रास्ते को बन्द करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रत्येक काश्तकार को कानूनन अपनी आराजी में पहुंचने हेतु रास्ता होना आवश्यक माना है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2022.12.15 14:34:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (क) के तहत किसी भी काश्तकार को अपनी कृषि भूमि पर आने जाने के लिए रास्ता उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में पड़ोसी काश्तकार से रास्ते की मांग कर कायम करवा सकता है। प्रार्थी को विधि द्वारा रास्ते का अधिकार प्रदत्त किया गया है। इस कारण प्रार्थीगण को रास्ता प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है। अप्रार्थी संख्या 5 को भूमिधारी होने से पक्षकार बनाया गया है। अप्रार्थी संख्या 6 को भूमि रहन होने के कारण पक्षकार बनाया गया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की गई। अप्रार्थीगण के नोटिस तामिलशुदा प्राप्त। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 की ओर से वकील श्री विमल किशोर तिवाड़ी उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 4 व 6 की ओर से वकील श्री अरविन्द कुमार दाधिच उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 5 (तहसीलदार रूपनगढ़) की ओर से प्रकरण में जवाब पेश किया गया। प्राप्त जवाब अनुसार ग्राम नरेना के ख0न0 284 किस्म गै0मु0 चाह की दक्षिणी सीमा की तरफ पूर्व दिशा में 30 फीट चौडा रास्ता ख0न0 285 में से दिया जाता है तो उक्त रास्ते में प्रयुक्त होने वाली भूमि का रकबा 0.0331 है0 बनता है, जो सबसे लघुतम रास्ता है। प्रस्तावित भूमि की डी0एल0सी दर (सिंचित) 170537/—रूपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से भूमि की कीमत 5645 रू बनती है, जिसकी दुगुनी राशि 11290/— रूपये अक्षरे— ग्यारह हजार दो सौ नब्बे रूपये बनती है। खसरा नम्बर 285 में से रास्ते हेतु प्रयुक्त होने वाला रकबा, खातेदार एवं रकम का विवरण निम्नानुसार है—

क्र0स0	ख0न0	खातेदार	रकबा (है0)	दुगुनी राशि
01	285	भंवरलाल पुत्र छीतर जाति जाट	0.0083	2822.50
02	285	घीसालाल पुत्र छीतर जाति जाट	0.0083	2822.50
03	285	किशनलाल पुत्र छीतर जाति जाट	0.0083	2822.50
04	285	रामरतन पुत्र छीतर जाति जाट	0.0083	2822.50

प्रार्थीगण द्वारा उक्त राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट बनाकर प्रस्तुत करने पर अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 को भुगतान हो। भुगतान की कार्यवाही पश्चात् तहसीलदार रूपनगढ़ को राजस्व रिकार्ड में रास्ते का अंकन करने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2022.12.15 14:34:54 IST
Reason: SelfAttested